संख्या 11014/2/96-अ०भा०से-II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितंबर, 1996

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

विषय:- अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियमावली, 1972 महंगाई भत्ते की अदायगी 1.7.96 से प्रभावी संशोधित दरें ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में 1.7.96 से संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं । (देखिए दिनांक 11.9.96 का वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1( )/96-संस्था-II(ख) जिसकी एक प्रति संलग्न है । अखिल भारतीय सेवाएं (महंगाई भत्ता) नियमावली, 1972 के नियम 3 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य उपर्युक्त तारीखों से इस कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट दरों से महंगाई भत्ते के हकदार हैं । अनुरोध है कि यह बात आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में ला दी जाए ।

भवदीय,

(यश ढींगरा)

डेस्क अधिकारी

सं.1(18)/96-संस्था. II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 1.7.1996 से लागू संशोधित दरें ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 20.3.1996 के कार्यालय ज्ञापन सं.1(5)/96-संस्थाII(ख) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पहली जुलाई, 1996 से देय महंगाई भत्ता निम्न प्रकार से संशोधित किया जाएगा:-

जिस तारीख से देय है	वेतन रेंज	प्रतिमाह देय महंगाई भत्ते की दर
1.7.1996	3500/- रु. प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 159%
	3500/- रु. प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/- रु. प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 119% किन्तु कम से कम 5565/- रु., प्रतिमाह
	6000/- रु. प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन	वेतन का 103% किन्तु कम से कम 7140/- रु., प्रतिमाह

2. समूह "ख", "ग" और "घ" कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के दिनांक 21.11.1986 के तथा समूह "क" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिनांक 26.3.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 13017/2/86-संस्थाII(ख) के पैरा 2 और 4 में निहित उपबन्ध इन आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत् देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान सशस्त्र सेनाओं और रेलवे कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा'

4. महंगाई भत्ते के कारण की जाने वाली जिस अदायगी में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों उसे अगले उच्चतर रुपए पर पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम की रकम को छोड़ दिया जाएगा।

5. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर लागू होंगे और यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष में प्रभार्य होगा। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद जारी किए गए हैं।

(बी. कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि :
(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार प्रेषित ।